

झारखंड सरकार
राज्य खाद्य आयोग
आवारा सा0 ई0-1/8, हिनूराँची

पत्रांक-रा0खा0आ0 (नोटिस) 10/19 राँची, दिनांक...../

-कोर्ट नोटिस -

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदा0,
पलामू।

श्रीमती लालो देवी,
अपीलकर्ता, ग्राम/पो0-करकट्टा, प्रखंड ऊँटारी रोड,
जिला-पलामू।

विषय :-

दिनांक 15.5.2019 को 11.30 बजे पूर्वा0 में प्रज्ञा केन्द्र, करकट्टा प्रखंड, ऊँटारी रोड में विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16(6) (ख) के अन्तर्गत सुनवाई के संबंध में।

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अपीलकर्ता श्रीमती लालो देवी, ग्राम/पो0-करकट्टा, प्रखंड ऊँटारी रोड, जिला-पलामू द्वारा प्राप्त अपील की सुनवाई दिनांक 15.5.2019 को 11.30 बजे पूर्वा0 में राज्य खाद्य आयोग द्वारा विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से करकट्टा प्रज्ञा केन्द्र में की जायेगी। ज्ञातव्य हो कि अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 13.2.2019 को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ शिकायत दर्ज की गयी थी जिसकी प्रति साथ में संलग्न है। सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदा0 निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं अपीलकर्ता श्रीमती लालो देवी उक्त प्रज्ञा केन्द्र में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

ह0/-

(मदन मोहन पति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक...../राँची, दिनांक...../

प्रतिलिपि-जिला शिकायत निवारण पदा0-सह-अपर समाहर्ता, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है यदि इस मामले में आपके स्तर से कोई आदेश पारित किया गया है तो तत्संबंधी सूचना आयोग को दिनांक 13.05.2019 से पूर्व उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक...../राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि - प्रखंड आपूर्ति पदा0, ऊँटारी रोड को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि निर्धारित समय एवं तिथि को सुनवाई के दौरान आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

कृ०पू०उल्टें....

ज्ञापांक राज(गएआप/नीटी/10)14-46/राँची, दिनांक 30.4.19 /

प्रतिलिपि— श्री शंभु कुमार मोबाईल न० -7033635044 राज्य प्रमुख, प्रज्ञा केन्द्र झारखंड/मुख्या ग्राम पंचायत करकट्टा प्रखंड की प्रति एवं संबधित प्रज्ञा केन्द्र की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे उपर्युक्त पत्रों की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त कराते हुए करकट्टा प्रज्ञा केन्द्र में सुनवाई के दौरान निर्धारित तिथि एवं समय पर विडियो कांफ्रेंसिंग में माध्यम से सुनवाई सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

30.4.19
विशेष कार्य पदाधिकारी।

[Faint, mostly illegible text from a form or document, possibly containing names and official stamps.]